न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 47/2016

अपीलांट

श्रीमति पानीदेवी पत्नी स्व. नैनाराम जी उम्र 60 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी बाबा गांव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पारसनाथ पुत्र श्री हीरानाथ जाति कालबेलिया हाल निवासी बाबा गांव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसीलदार सुमेरपुर, तहसील कार्यालय सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री नारायण लाल कुमावत अपीलांट की ओर से।
विद्वान अभिभाषक श्री श्रीकृष्णदास रेस्पोडेन्ट संख्या 01
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06/12/2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2013 बउनवान पानीदेवी बनाम पारसनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत बसंत के ग्राम बाबा गांव पटवार हल्का बसंत भू–अभिलेख निरीक्षेक क्षेत्र ढोला तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 359 रकबा 1.25 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पति नैनाजी वल्द जोधाजी व उसके ससुर जोधा पुत्र दुदा जी का संवत 2043 से निरन्तर कब्जा काश्त आज दिनांक तक चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व उसके परिवार का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 01 को आवंटन होने योग्य नहीं थी, किन्तु उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम गलत रूप से आवंटन कर दी गई, जिससे उक्त विधि विरूद्ध आवंटन को निरस्त कराने को निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। विधि का यह प्रतिपादित नियम है कि कोई भी भूमि किसी भी व्यक्ति को केवल तब ही आवंटन की जा सकती है जब व आवंटन योग्य हो, उक्त आवंटन कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त न हो यानि आवंटन की गई भूमि निर्विवादित होकर खाली भूमि हो तथा अधिभोगी भूमि नही हो तब ही वह भूमि आवंटन योग्य रह जाती है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व अपीलांट के परिवार का कब्जा काश्त संवत 2043 एवं उससे भी काफी वर्षो पूर्व लगातार निरन्तर चला आ रहा है जो खसरा परिवर्तनशील सवंत 2043 से 2065 को देखने मात्र से स्पष्ट है एवं उसके पश्चात आज भी उक्त आराजी पर मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा काश्त है जो खसरा परिवर्तनशील से स्पष्ट है। किन्तु आवंटन कमेटी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में विधिवत रूप से बिना मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाये बिना मौका देखे, बिना मौके पर गये, बिना रेकर्ड की जाचं किये, आवंटी की सही वस्तुस्थिति एवं पूर्व में धारित भूमि की बिना जांच किये केवल मात्र फोरी कार्यवाही कर आवंटन नियमो के विरूद्ध बाले–बाले आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट व उसके परिवार ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 359 पर लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर कब्जे को नियमन करने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान में ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, किन्तु कमेटी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना, उक्त प्रार्थना पत्र के लंबित रहते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो आवंटन फार्म प्रस्तुत किया गया है, उसमे केवल मात्र खानापूर्ति की गई है, आवंटन प्रार्थना से यह स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किस ग्राम की भूमि हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 'किया है। उक्त आवंटन फार्म में तस्दीक पटवारी रिपोर्ट के पूरे कॉलम खाली है तथा पटवारी रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेन्ट भूमिहीन है अथवा नही ? न ही इस संबध में आवंटन कमेटी द्वारा कोई जाचं की गई। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ग्राम बसंत का मूल निवासी ही नहीं है एवं न ही ग्राम पंचायत बसंत द्वारा इसका कोई राशनकार्ड बना हुआ है, उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने फर्जी व कूटरचित राशनकार्ड 257 तैयार कर उक्त आवंटन करवाया, जबकि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा यह स्पष्ट सूचना प्रदान की गई कि परिवार कार्ड संख्या 257 से संबधित ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड पारसनाथ के नाम से उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सद्भाविक कृषक नहीं है एवं न ही कृषि कार्य करता है जबकि अपीलांट व उसका बेटा सद्भाविक कृषक है जो अपने पुत्र के साथ कृषि कार्य करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना है तथा उक्त आवंटनशुदा भूमि पर वर्तमान में मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से अपीलांट काबिज होने से तथा भूमिहीन होने से तथा आवंटन कमेटी के समक्ष अपीलांट द्वारा आवंटन/नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से उक्त भूमि नियम 20 के तहत अपीलांट को आवंटन योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

थी, किन्तु उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कानून के विरूद्ध जाकर आवंटन करवाई गई। आवंटन कमेटी द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया गया वो आवंटन विहित प्रारूप में नहीं किया गया तथा आवंटन शर्ते दर्शित नहीं की गई जबकि कानूनी आज्ञापक प्रावधान है कि आवंटन आदेश में आवंटन की शर्ते दर्शित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यो के आधार पर उक्त आवंटन विधि एवं नियमो के विरूद्ध होने से एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो एवं वास्तविक तथ्यो के विपरित जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत बसंत के ग्राम बाबा गांव पटवार हल्का बसंत भू–अभिलेख निरीक्षेक क्षेत्र ढोला तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 359 रकबा 1.25 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर स्वंय व अपने परिवार वालो का कब्जा काश्त होने बताते हुए वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हुए आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी आवंटन के वक्त सरकार सिवायचक थी, जिसके आधार पर आवंटन नियमो का विधिवत पालन करते हुए उक्त आराज़ी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन की गई है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वक्त आवंटन से कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं जहां तक नियमन का प्रश्न है तो अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे वह उक्त आराजी का नियमन कराने हेतु पात्र ही नहीं थी। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन शुदा भूमि है, जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत बसंत के ग्राम बाबा गांव पटवार हल्का बसंत भू–अभिलेख निरीक्षेक क्षेत्र ढोला तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 359 रकबा 1.25 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर स्वंय व अपने परिवार वालो का कब्जा काश्त होने बताते हुए वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हुए आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए अपने कथनो के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील सवंत 2043, 2044, 2053, 2055 एवं 2065 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके कॉलम संख्या 03 के अन्तर्गत जोधा पुत्र दूदा कौम सीरवी का नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 359 रकबा 1.25 हैक्टेयर पर अपीलांट व उनके परिवार वालो का कब्जा काश्त रहा है एवं उक्त आराजी विवादरहित नहीं थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट व उसके परिवार ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 359 पर लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर कब्जे को नियमन करने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभ्यिान में ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण किये बिना आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आवंटन किया गया है। जबकि कानूनन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमन बाबत कार्यवाही की जानी चाहिये थी, नियमन की पत्रता नहीं रखने की स्थिति में धारा 91 के तहत विधिवत रूप से बेदखली की कार्यवाही कर भूमि को विवादरहित कर ही आवटन की जाकर आवंटी को कब्जा दिया जाना चाहिये था, जिसका उपरोक्त प्रकरण में पूर्णरूपेण अभाव रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आवंटन आदेश को विधिवत रूप से कायम रखा जाना हाजा न्यायालय की राय में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसके हितो का संरक्षण किया जाना भी आवश्यक है, ऐसी स्थिति में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2013 बउनवान पानीदेवी बनाम पारसनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं आवंटन आदेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा ग्राम पंचायत बसंत के ग्राम बाबा गांव पटवार हल्का बसंत भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढोला तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 359 रकबा 1.25 हैक्टेयर का निरस्त किया जाकर पत्रावली उपंखड अधिकारी सुमेरपुर को इस निर्देश के सथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के संबध में मौके की विधिवत जांच की जावे एवं अगर अपीलांट उक्त आराजी के संबध मे नियमन की पात्रता रखता है तो विधि की पूर्ण पालना करते हुए उक्त आराजी अपीलांट को नियमन की जावे एवं चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसकी आजीविका चलाने हेतु उसे किसी अन्य स्थान पर विवादरहित उपरोक्त रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि विधिवत रूप से आवंटन की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली